FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	बाबूलाल वगैरा बनाम् भूरामल वगैरा दावा मुकदमा नं0113/2011 बी0टी0 नम्बर 828/2017 काश्त होने के कारण विपरित कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चूके है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादीगण के दीगर पारिवारिक भूमि हिस्से में आई हुई है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादीगण का लगातार कब्जा काश्त होने से कानूनन खातेदार काश्तकार है एंव खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होने से वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 4, 5 से 9 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नं. 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश हो चूका है। प्रतिवादी नम्बर 3 व 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बाहमी बंटवारे में कौनसी दीगर भूमियॉ आई है। इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है एंव ना ही ऐसा कोई साक्ष्य गवाहान् ही वादीगण ने पेश किया है। जिसने प्रतिवादीगण के बाहमी बंटवारें में आई भूमियों के बारे में कथन किया हो। जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो।

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

बाबूलाल वगै0 बनाम् भूरामल वगै0
दावा मुकदमा नं0113/2011
बी0टी0 नम्बर 828/2017

अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प –दिवराला में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 1885, 1886 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर (1/2, 1/2) हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण न. 1 ता 3 व प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 7 का नाम व मृत्तक रामस्वरूप व मंगलचन्द का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। उक्त घोषित रकबा 0.52 हैक्टर की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र दिवराला के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहम लाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर (फास्ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–दिवराला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner